20-9-19

वकील अप्रपक्ष उपस्थित वादी स्वयं उपस्थित साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी,
हनुमानगढ़

[signatures]
Shamsher Singh Adv.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 269/2019

1 रूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरवक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291, गली नम्बर बी-5, गुरू की नगरी, वठिण्डा तहसील व जिला वठिण्डा (पंजाव)

-- वादी

-:: बनाम ::-

1 सतपाल सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291 प्रथम तल, गली नम्बर बी-5, गुरू की नगरी, वठिण्डा तहसील व जिला वठिण्डा (पंजाव)।

2 जसवीर कौर पत्नी श्री गुरवक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291 प्रथम तल, गली नम्बर बी-5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला वठिण्डा (पंजाव)।

3 मनजीत कौर पुत्री श्री गुरववश सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291 प्रथम तल, गली नम्बर बी-5, गुरू की नगरी, वठिण्डा तहसील व जिला वठिण्डा (पंजाव)

4 मनप्रीत कौर पुत्री श्री गुरवक्श सिह पत्नी श्री इकवाल सिंह जाति जटसिख निवासी जय सिंह वाला, तहसील व जिला वठिण्डा (पंजाव)

5 गुरविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरबक्श सिह पत्नी श्री प्रभजोतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इस्लामवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाव)

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री खुशप्रीतसिंह सन्धू अधिवक्ता — वादी
2. श्री अजयवीरसिंह मान अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

दिनांक :- 20.09.2019

-:: निर्णय ::-

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 25 के.एस.पी., खाता संख्या 22/93, खाता गुरवक्श सिंह, जमावन्दी सम्वत 2075-78 में गुरवक्श सिहं पुत्र गुजर सिंह के नाम पत्थर नम्बर 107/337 मुरब्वा नम्बर 42 किला नम्बर 14/2/.121, 15/2/.121, 16, 17, 24, 25 व पत्थर नम्बर 107/338 मुरब्वा नम्बर 45 किला नम्बर 5/1/.019 कुल 1.273 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

चक 1 डी.वी.एल.''वी'' खाता संख्या 38/53, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के नाम पत्थर नम्बर 75/284 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1, 3, 4/2/.169 कुल 0.675 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमावन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

चक 1 डी.बी.एल.''वी'' खाता संख्या 39/38, खाता गुरवक्श सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के नाम पत्थर नम्बर 77/282 मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 7 ता 14, 17 ता 22, 23/.164, 24/.089 कुल 3.795 हैक्टर व पत्थर नम्बर 76/282 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 6, 7/.177, 8/.114, 9/.025, 11/.228, 12 ता 25 कुल 4.339 हैक्टर व पत्थर नम्बर 75/282 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 15/.139,

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

16, 25 कुल 0.645 हैक्टर व पत्थर नम्बर 75/283 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 76/283 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 ता 3, 4/.240, 5/.152 कुल 1.151 हैक्टर व पत्थर नम्बर 77/283 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 1/.076, 2/1/.013 कुल 0.089 हैक्टर आराजी कुल क्षेत्रफल 10.272 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 2.055 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

चक 6 एस.टी.जी., खाता संख्या 190/163, खाता सुखदेव कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में पत्थर नम्बर 90/266 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 8/.089, 12/.089, 13/.240, 18, 19/.240, 20/089, 21/.240, 22, 23 कुल 1.746 हैक्टर व पत्थर नम्बर 89/266 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 25/.063 व पत्थर नम्बर 89/267 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 4/.038, 5/.228, 6, 7/.202, 8/.013, 13/.164, 14 ता 18, 19/.089, 21/.025, 22/.240, 23 ता 25 कुल 3.276 हैक्टर व पत्थर नम्बर 90/267 मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्टर व पत्थर नम्बर 89/268 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1/.177, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 20 कुल 2.960 हैक्टर व पत्थर नम्बर 88/268 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 6/.164, 14/.076, 15, 16, 17/.202, 23/.228, 24, 25 कुल 1.682 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 13.522 हैक्टर जिसमें गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 3 बीघा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 के खातेदार काश्तकार गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह की दिनांक 01.04.2019 को मृत्यु हो चुकी है तथा गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है। गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह द्वारा दिनांक 29.03.2018 को एक वसीयत रोबर गवाहान अपनी स्वतंत्र इच्छा एंव बिना किसी दवाब के पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार कर लिखवाई कि वसीयत पर मिकर के तीन पुत्रीया व दो पुत्र है व तीनो पुत्रीयां शादीशुदा है जिनको उनका विवाह दान दहेज, छुछक हैसियत अनुसार दिया हुआ है व पुत्रो सतपाल सिंह व रूपिन्द्र सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर चारो चको की कुल 4.761 हैक्टर वसीयत की, जिस बाबत प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 द्वारा मौखिक सहमति दी गई व हस्ताक्षर कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई व नोटरी पब्लिक द्वारा वसीयत गुबरक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह को पढ़कर सुनाई व सुनने उपरान्त गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के हस्ताक्षर करवाकर अपने रजिस्टर में दर्ज की तथा मुताबिक वसीयत वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 ने अपने नाम दर्ज आराजी वादी रूपेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 सतपाल सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर दी तथा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 वाद पत्र की मद सख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी के मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 बहिस्सा बराबर वसीयतकर्ता गुरबक्श सिंह की मृत्यु दिनांक 01.04.2019 से खातेदार काश्तकार हो चुके है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी राजस्व रिकार्ड में गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिह के नाम चली आ रही है जबकि गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह की दिनांक 01.04.2019 को मृत्यु हो चुकी है तथा मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 वसीयतकर्ता गुरबक्श सिंह की मृत्यु दिनांक 01.04.2019 से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हो चुके है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के आधिपत्य व धारण की आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी अपने आराजी पर रहन, बैय आदि तथा अन्य सरकारी सुविधाओ का लाभ लेने से वंचित हो रहा है। प्रतिवादीगण, गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के नाम दर्ज आराजी का विरातसन नामान्तरण दर्ज करवाने पर उतारू है परन्तु

लगातार 3

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण की आराजी है, जिसकी घोषणा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण को वसीयत दिनांक 29.03.2018 की वसीयत के दिवस से ही जानकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि मुताबिक वसीयत वादी के आधिपत्य व धारण की आराजी को वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादी घोषणा फरमाई जावे कि चक 25 के.एस.पी., खाता संख्या 22/93, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में दर्ज 1.273 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल. "बी", खाता सख्या 38/53, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में दर्ज 0.675 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल."बी", खाता संख्या 39/38, खाता गुरबक्श सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में कुल 10.272 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 2.055 हैक्टर व चक 6 एस.टी.जी., खाता सख्या 190/163, खाता सुखदेव कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में कुल 13.522 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 3 बीघा की घोषणा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर की जाकर उक्त खातो से गुबरक्श सिह पुत्र गुजर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवबाव दावा मय काऊन्टर कलेम प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनें जबाब दावा में कथन किया कि स्व. गुरबक्श सिंह पुत्र श्री गुजर सिंह द्वारा दिनांक 29.03.2018 को करवाई गई वसीयत से मिन प्रतिवादी पूर्णतः सहमत है। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी के मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 गुरबक्श सिंह की मृत्यु दिनांक 01.04.2019 से खातेदार काश्तकार हो चुके है। स्व. श्री गुरबक्श सिंह द्वारा प्रतिवादीगण की सहमति से तथा अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत करवाई थी।

वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी के मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी वादी व मुझ प्रतिवादी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में बहिस्सा बराबर चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनें काऊन्टर क्लेम में कथन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 के खातेदार काश्तकार गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह की दिनांक 01.04.2019 को मृत्यु हो चुकी है तथा गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है। गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह द्वारा दिनांक 29.03.2018 को एक वसीयत रोबरू गवाहान अपनी स्वतंत्र इच्छा एंव बिना किसी दवाब के पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार कर लिखवाई कि वसीयत पर मिकर के तीन पुत्रीया व दो पुत्र

लगातार 4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

है व तीनो पुत्रीयां शादीशुदा है जिनको उनका विवाह दान दहेज, छुछक हैसियत अनुसार दिया हुआ है व पुत्रो सतपाल सिंह व रूपिन्द्र सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर चारो चको की कुल 4.761 हैक्टर वसीयत की, जिस बाबत प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 द्वारा मौखिक सहमति दी गई व हस्ताक्षर कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई व नोटरी पब्लिक द्वारा वसीयत गुबरक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह को पढ़कर सुनाई व सुनने उपरान्त गुरबक्श सिंह पुत्र गुजर सिंह के हस्ताक्षर करवाकर अपने रजिस्टर में दर्ज की तथा मुताबिक वसीयत वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 ने अपने नाम दर्ज आराजी वादी रूपेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 सतपाल सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर दी तथा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 वाद पत्र की मद सख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी के मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 बहिस्सा बराबर वसीयतकर्ता गुरबक्श सिंह की मृत्यु दिनांक 01.04.2019 से खातेदार काश्तकार हो चुके है।

चक 25 के.एस.पी., खाता संख्या 22/93, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में दर्ज 1.273 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल.''बी'', खाता संख्या 38/53, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में दर्ज .675 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल.''बी'', खाता संख्या 39/38, खाता गुरबक्श सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में कुल 10.272 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 2.055 हैक्टर व चक 6 एस.टी.जी., खाता सख्या 190/163, खाता सुखदेव कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में कुल 13.522 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 3 बीघा की घोषणा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर की जाकर उक्त खातो से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिंह का नाम कलमजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

मुझ प्रतिवादी सख्या 01 को पक्षकार बनने उपरान्त काउन्टर क्लेम पेश करने का वाद कारण हासिल हुआ है। काऊन्टर क्लेम प्रतिवादी सख्या 01 श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। जो अन्दर मियाद है व उचित कोर्टफीस पर पेश है। अतः जवाब दावा मय काऊन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सख्या 01 का काऊन्टर क्लेम निम्न प्रकार डिक्री किया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 25 के.एस.पी., खाता संख्या 22/93, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में दर्ज 1.273 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल.''बी'', खाता सख्या 38/53, खाता गुरबक्श सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में दर्ज 0.675 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल.''बी'', खाता संख्या 39/38, खाता गुरबक्श सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में कुल 10.272 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 2.055 हैक्टर व चक 6 एस.टी.जी., खाता सख्या 190/163, खाता सुखदेव कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में कुल 13.522 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 3 बीघा की घोषणा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर की जाकर उक्त खातो से गुबरक्श सिह पुत्र गुजर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि स्व. गुरबक्श सिंह पुत्र श्री गुजर सिंह द्वारा दिनांक 29.03.2018 को करवाई गई वसीयत से हम प्रतिवादीगण पूर्णतः सहमत है। हम प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 स्व. श्री गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज आराजी में से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहते तथा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी के मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 गुरबक्श सिंह की मृत्यु दिनांक 01.04.2019 से खातेदार काश्तकार हो चुके है। स्व. श्री गुरबक्श सिंह द्वारा हम प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 की सहमति से तथा अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत करवाई थी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 5

Scanned by CamScanner

वाद पत्र की मद संख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी के मुताबिक वसीयत दिनांक 29.03.2018 वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर घोषणा की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उजर ऐतराज नही है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण में बहिस्सा बराबर चली आ रही है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी मुताबिक अनुतोष "क" स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी रूपिन्द्रसिंह व वसीयत में गवाह श्री अमनप्रीतसिंह पुत्र रामपालसिंह जाति जटसिख निवासी नई धान मण्डी हनुमानगढ़ जक्शन द्वारा द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाकर मूल वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद अवलोकन पाया गया कि श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री गुजरसिंह जाति जटसिख निवासी डबलीबास कुतब हाल आबाद मकान नम्बर 24291, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब) द्वारा लिखवाई गई वसीयत दिनांक 29.03.2018 के सम्बंध में गुरबक्श सिंह के वारिसान को कोई विरोध नहीं होने से वादी वादी मुताबिक वसीयत एवम् राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद वादी स्वीकार किया जाकर श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री गुजरसिंह जाति जटसिख निवासी डबलीबास कुतब हाल आबाद मकान नम्बर 24291, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब) द्वारा लिखवाई गई वसीयत दिनांक 29.03.2018 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुरबक्शसिंह के नाम चक 25 के.एस.पी., खाता संख्या 22/93, में दर्ज 1.273 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल. "बी", खाता सख्या 38/53, में दर्ज 0.675 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल."बी", खाता संख्या 39/38, में कुल 10.272 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 2.055 हैक्टर व चक 6 एस.टी.जी., खाता सख्या 190/163, में कुल 13.522 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 3 बीघा भूमि में गुबरक्श सिह पुत्र गुजर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी रूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 सतपाल सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(7)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 269/2019

1 रूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब) — — वादी

–:: बनाम ::–

1 सतपाल सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291 प्रथम तल, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।

2 जसवीर कौर पत्नी श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291 प्रथम तल, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।

3 मनजीत कौर पुत्री श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 24291 प्रथम तल, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

4 मनप्रीत कौर पुत्री श्री गुरबक्श सिह पत्नी श्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी जय सिंह वाला, तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

5 गुरविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरबक्श सिह पत्नी श्री प्रभजोतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इस्लामवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 20.09.2019

वादी की और से श्री खुशप्रीतसिंह सन्धू अधिवक्ता, तथा प्रतिवादीगण की और से श्री अजयवीर सिंह मान अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 20.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री की जाती है, कि श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री गुजरसिंह जाति जटसिख निवासी डबलीबास कुतब हाल आबाद मकान नम्बर 24291, गली नम्बर बी–5, गुरू की नगरी, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब) द्वारा लिखवाई गई वसीयत दिनांक 29.03.2018 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुरबक्शसिंह के नाम चक 25 के.एस.पी., खाता संख्या 22/93, में दर्ज 1.273 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल."बी", खाता सख्या 38/53, में दर्ज 0.675 हैक्टर व चक 1 डी.बी.एल."बी", खाता संख्या 39/38, में कुल 10.272 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 2.055 हैक्टर व चक 6 एस.टी.जी., खाता सख्या 190/163, में कुल 13.522 हैक्टर में से गुरबक्श सिह पुत्र गुजर सिह के नाम 3 बीघा भूमि में गुबरक्श सिह पुत्र गुजर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी रूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 सतपाल सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:05:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: